

जिला कलेक्टर
बागपस (जिला-संभा)

11 $\frac{2}{20}$

पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप० नहीं है।
वकील सायल ने जैर सायल की लखनी नहीं
कराई है। अतः सायल का प्र० पत्र 7.2 लखनी
के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल भूमाट लेकर बाद लखनी कलेक्टर
खाखिल की जावे।

जिला कलेक्टर।
बागपस (जिला-संभा)

